प्रेस नोट ***दिनांक 18.11.2025***

यूपीआई के माध्यम से अन्जान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी धनराशि 40,000 (चालीस हजार) रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस –

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना सरायलखनसी जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति के खाते में गलती से भेजी गयी 40,000/- (चालीस हजार) रुपये पीडित इन्तेयाज पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी अलीनगर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की कुल 40000 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया । आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1. प्र0 नि0 पंकज पाण्डेय थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
2. नोडल उ0नि0 नयन वर्णवाल थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
3. म0 उ0नि0 कोमल कसौधन थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
4. का0 आशीष द्विवेदी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
5. म0का0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
6. का0 धर्मेन्द्र पुष्पाकर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।

02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी 02 अदद मोटरसाइकिल व चोरी के माल बेचने से प्राप्त 5000 रु नगदी तथा 01 अदद मंगलसूत्र, एक जोड़ी कानफूल बरामद –

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियो के विरूद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र के कुशल नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा दिनांक 18.11.2025 को देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मुहम्मद अली इंटर कालेज इंदारा के पास से मु0अ0सं0 266/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू डोम उर्फ वंशी पुत्र स्व0 मोहन निवासी सोनीधापा निजामुद्दीन थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के कब्जे से दो अदद चोरी की मोटरसाइकिल व चोरी के आभूषण बेचने से प्राप्त 5000 रु के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के निशानदेही पर थाना हलधरपुर में पंजीकृत अभियोंग मु0अ0स0 276/25 धारा 318(4), 319(2), 317(2) बीएनएस से संबंधित आभूषण को संदीप वर्मा पुत्र शिवशंकर बर्मा बैना थाना फेफना जनपद बलिया जो माल को खरीदने इंदारा रेलवे स्टेशन के पास आया था के पास से 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु व एक जोड़ी कानपूल बरामद कर गिरफ्तार किया गया, उक्त प्रकरण में धारा 317(2), 317(4) की बढ़ोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. सोनू डोम उर्फ बशी पुत्र स्व0 मोहन निवासी सोनीधापा निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. संदीप बर्मा पुत्र शिवशंकर बर्मा निवासी बैना थाना फेफना जनपद बलिया।

बरामदगी का विवरण –

1. 02 अदद चोरी की मोटरसाइकिल
2. 5000 /- नगद चोरी का माल बेचने से प्राप्त
3. 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु व 01 अदद जोड़ी कानफूल।

आपराधिक इतिहास-

सोनू डोम उर्फ बंशी पुत्र स्वा० मोहन निवासी सोनीधापा निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ

1. मु0अ0स0 266/2825 धारा 303(2)/117(2)/317/4) बीएनएस थाना कोपागंज
2. मु0अ0स0 276/2025 धारा 318(4)319(2) बीएनएस थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
3. मु0अ0स0 28/2023 धारा 378 411 IPC बांसडीह रोड़ बलिया
4. मु0अ0स0 372/23 धारा 413,414,420,467,468,471 आईपीसी थाना कोतवाली बलिया
5. मु0अ0स0 155/24 धारा 25, ¾ आयुध अधिनियम 1959 थाना रसडा बलिया
6. मु0अ0स0 687/21 धारा 25,4 आय़ुध अधिनियम 1959 थाना कैंट गोरखपुर
7. 062/24 धारा 379, 411, 413, 414 आइपीसी थाना हलधरपुर मऊ
8. 125/17 धारा 323, 363, 366, 376 आईपीसी व लैगिग अपराधों व बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 थाना कोतवाली मऊ
9. 496/21 धारा 323, 504, 506 आईपीसी थाना कोतवाली मऊ
10. 363/22 धारा 379, 411 आईपीसी थाना कोतवाली मऊ

गिरफ्तार करने वाले टीम –

1. उ0नि0 जावेद अख्तर थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. उ0नि0 दुर्गेश कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. उ0नि0 जयप्रकाश थाना कोपागंज जनपद मऊ।
4. का0 सुधीर कुमार थाना कोपागंज जनपद मऊ।
5. का0 अमित यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ।
6. का0 विजय विश्वकर्मा थाना कोपागंज जनपद मऊ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹2000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय़ न्यायालय एसीजेएम कोर्ट,जनपद मऊ द्वारा द्वारा दिनांक 18-11-2025 को मु0अ0सं0 317/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध रामाश्रय यादव पुत्र मिश्री

यादव निवासी गंगयापार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया,।